

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक

फर्द अहकाम

पत्रावली बेश हुई वकुलाय
उपरिधत, पत्रावली पूर्वानुसार
कारने... १६/११... १६/११... १६/११...
१६/११... १६/११... १६/११...
दिनांक २३-११-२५ को...

11 12
24

पत्रावली प्राप्त मित्र लक्ष्मी के पास
पत्र पर मिला है। आपस में
आपस में लक्ष्मी उपरोक्त पत्रानुसार
आपस में लक्ष्मी उपरोक्त पत्रानुसार
जही बताया जा रहा है। आपस में
व आपस में लक्ष्मी उपरोक्त पत्रानुसार
उपरोक्त पत्रानुसार लक्ष्मी उपरोक्त पत्रानुसार
आपस में लक्ष्मी उपरोक्त पत्रानुसार
बनाम कामची लाल गौड़ के नाम
पर आपस में लक्ष्मी उपरोक्त पत्रानुसार
पत्रानुसार लक्ष्मी उपरोक्त पत्रानुसार

हैं कि...
लक्ष्मी
आपस में

किशन...
Not Press
राजेश्वरी...
अधीन...

उपखण्ड अधिकारी
दिनांक २३-११-२५



यालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

24 ⁹/₂₄ पत्रावली केस नुई वकुलाब
 उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार
 वास्ते... तबाब... दर... बड... (दरखास)
 ...
 दिनांक... को पेश हो!

11/12

पत्रावली के अन्तर्गत तलबी के अन्तर्गत
 पर निका हुई। वादीजान व वादीजान वकील
 उक्त। वादीजान व वादीजान वकील ने
 अलग अलग कराया कि वादीजान व वादी
 अलग अलग कराया आगे वादीजान व वादी
 है। वादीजान व वादीजान वकील ने
 अलग अलग नोटिस के अन्तर्गत कराया जाय
 है। अतः अन्वय 24/15 के अन्तर्गत हरमेश बहा
 रामजी लाल नोटिस के अन्तर्गत किया जा रहा है।
 पत्रावली के अन्तर्गत हुम्मा र डेकर नम्बर से अम्मी

किराब 12



श्री मातली

दुरि कंर

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (कचैली)

धर्मो
 दावे की पूर्ति
 नहीं पाते है।
 12/12/21.